न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2018
दायर दिनांक – 05/03/2018
निर्णय दिनांक – 19/06/2018

अनवान

1. जन्नत बेगम पत्नि अलीशेर मोहम्मद मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
2. सददाम हुसैन पिता अलीषेर मोहम्मद मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
3. अब्बास मोहम्मद पिता अलीशेर मोहम्मद मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा

अपीलाण्ट

बनाम

1. नियाज मोहम्मद पिता बाहू खां मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
2. सद्दीक मोहम्मद पिता बाहू खां मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
3. यार मोहम्मद पिता बाहू खां मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
4. चांद मोहम्मद पिता बाहू खां मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
5. छोटे खां पिता बाहू खां मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
6. हकीम मोहम्मद पिता अकबर मोहम्मद मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
7. लाल मोहम्मद पिता अकबर मोहम्मद मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
8. इस्माईल मोहम्मद पिता अकबर मोहम्मद मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
9. शौकत मोहम्मद पिता अकबर मोहम्मद मुसलमान गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
10. ग्राम पंचायत सांसेरा जरिये संरपंच साहब ग्राम पंचायत सांसेरा तहसील रेलमगरा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 64 दिनांक 08/06/1979 ग्राम पंचायत सासेंरा

निर्णयः

अपीलाण्ट की और से जरिये अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गमेरपुरा पटवार सर्कल सासेरा की सरहद मे अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या एक से लगायात नो की मौरूसी जायदाद स्थित है जिसके आराजी संख्या 268,275,319 कुल किता 3 कुल रकबा 03–13 बीघा एवं आराजी संख्या 468/350,439/350 कुल किता 2 कुल रकबा 06–10 बीघा पूर्व मे अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर व अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 के दादा जी वाटु खां पिता घासी खां के नाम

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पर रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज थी। वाटु खां जी के 7 लडके उत्पन्न हुऐ जिसमें नियात मोहम्मद , सदीक मोहम्मद , यार मोहम्मद ,चांद मोहम्मद, छोटे खां और अपीलाण्ट संख्या 1 के पति व 2 व 3 के पिता अलीशेर मोहम्मद उत्पन्न हुये थे। अकबर मोहम्मद की भी पूर्व मे मृत्यु हो गई जिनके वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से लगायात 9 तक है तथा अलीशेर की मृत्यु हो गई जिनके वारिसान अपीलाण्टगण है। इन सब का सजरा निम्न प्रकार है अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर जी व 2 व 3 के दादाजी के सात पुत्र नियात मोहम्मद , सदीक मोहम्मद , यार मोहम्मद ,चांद मोहम्मद, छोटे खां, अकबर मोहम्मद , अलीशेर खा उत्पन्न हुये तथा अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर की व 1 व 3 के दादाजी वाटु खां का देहान्त हो चुका व वाटु खां के देहान्त के बाद ग्राम पंचायत सासेरा के द्वारा अन्तकाल फैसल किया। उसके अपीलाण्ट संख्या 1 के पति व 2 व 3 के पिता अलीशेर का नाम छोडकर भारी भूल की है। अपीलाण्ट संख्या 1 के पति व 2 व 3 के पिता अलीशेर का भी दिनांक 06/11/2007 को देहान्त हो गया है तथा मौके पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायात 5 व 6 से लगायात 9 को आपस मे हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा काश्त करते चले आ रहे है। अपीलाण्ट के रूपयों की आवश्यकता होने के कारण बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए खाते की नकल जारी करवाई तो खाते मे अपीलाण्ट व उसके पिता का नाम अंकित नही होने पर अपीलाण्ट के द्वारा तुरन्त जमाबंदी निकलवाई व पता लगाया कि रेकार्ड मे न ही अपीलाण्टगण का व नही अपीलाण्ट गण के पिता का नाम अंकित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सासेरा के द्वारा अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर जी व 2 ,3 के दादाजी वाटु खा की मृत्यु पश्चात उसके अपीलाण्ट संख्या 1 के पति व 2 व 3 के दादाजी के नाम अन्तकाल फैसल नही कर भारी भूल की है अधिनस्थ ग्राम पंचायत सासेंरा जो नामान्तरणकरण संख्या 64 दिनांक 08/06/1979 निर्णित किया गया है वह प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है उक्त नामान्तरणकरण संख्या 64 दिनांक 08/06/1979 को निर्णित किया मगर अपीलाण्ट को जानकारी दिनांक 09/02/2018 को हुई व दिनांक 15/02/2018को नामान्तरणकरण की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि आप न्यायालय मे प्रस्तुत है इस संबध मे देरी को लेकर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरणकरण संख्या 64 दिनांक 08/06/1979 निरस्त फरमाया जाकर ग्राम गमेरपुरा तहसील रेलमगरा की सरहद मे स्थित आराजी संख्या 268, 275 ,319, 468/350, 439/350 मे अपीलाण्ट का नाम अंकित फरमाया जाने की कृपा करावे। ताईद मे शपथ पत्र व धारा 5 मियाद आधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेपोस्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेपोस्डेन्टगण संख्या 01, 02, 05 की और से प्रार्थना का स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जरकर अपीलाण्ट का नाम रेकार्ड मे दर्ज कराया जावे तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। शेष

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहे। कि राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के तहत् राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सांसेरा पर रखी गई की पक्षकारान् ने दौराने शिविर उपस्थित होकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने पर सहमति दी गई। पक्षकारान् को सूना पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम गमेरपुरा के नामान्तरण संख्या 64 दिनांक 08.06.1979 का निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वाटू खां पिता घांसी खां के विधिक वारीसान की विस्तृत जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को कैम्प सांसेरा पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा